<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, शाहजहॉपुर।</u>

इजरा वाद संख्या–02/2023,

सैय्यद मोहिउद्दीन बनाम अरविन्द यादव।

<u>दिनांक 02.11.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विगत तिथियों से डिक्रीदार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है।

डिक्रीदार द्वारा निर्णीत ऋणी से बकाया किराये की धनराशि उसकी जात व जायदाद से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

बादहू प्रार्थना–पत्र 11ग निर्णीत ऋणी को गिरफतार कर उक्त धनराशि डिक्रीदार को दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र अथवा इजरा वाद पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसी दशा में प्रार्थना–पत्र 11ग निरस्त करते हुए तदनुसार इजरा वाद भी खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0–4, शाहजहाँपुर।